



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27012022-232931
CG-DL-E-27012022-232931

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 345]
No. 345]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 27, 2022/माघ 7, 1943
NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 27, 2022/ MAGHA 7, 1943

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
(सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 27 जनवरी, 2022

का.आ. 353(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 340 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत के राजपत्र में 02 अक्तूबर, 2017 के सा.का. 3210(अ) के तहत अधिसूचित आदेश द्वारा गठित अन्य पिछड़े वर्गों के उप-श्रेणीकरण की जांच करने के लिए आयोग की समयाविधि 31, जनवरी 2022 के बाद छह माह के लिए बढ़ाते हैं।

2. आयोग 31, जुलाई 2022 तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

राम नाथ कोविन्द,
राष्ट्रपति

[फा. सं. 12015/09/2017-बीसी-II]

आर. सुब्रह्मण्यम, सचिव

MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT**(Department of Social Justice and Empowerment)****ORDER**

New Delhi, the 27th January, 2022

S.O. 353(E).—In exercise of the powers conferred by Article 340 of the Constitution, the President is pleased to extend the tenure of the Commission to examine sub-categorisation of Other Backward Classes, notified vide Order S.O.3210(E) dated 2nd October 2017 in the Gazette of India, for 6 months beyond 31st January 2022.

2. The Commission shall present its Report by 31st July 2022.

RAM NATH KOVIND,
PRESIDENT

[F. No. 12015/09/2017-BC-II]
R. SUBRAHMANYAM, Secy.